

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-2/2015/1/9

भोपाल दिनांक 28/1/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5-4/99/9 दिनांक 13.1.99 परिपत्र क्रमांक 5-1/06/1/9 दिनांक 22/3/2006 क्रमांक 5/1/2007/1/9 दिनांक 5/4/2007 क्रमांक 5/6/008/1-9 दिनांक 23/06/2008 एवं क्रमांक 5-1/2009/1-9 दिनांक 4/5/2009, क्रमांक 5-1/2010/1-9 दिनांक 20/05/2010 क्रमांक एफ 5-1/2011/1/9 दिनांक 26/4/2011, एफ 5-1/2012/1/9 दिनांक 23/06/2012 एवं एफ 5-1/2013/1/9 दिनांक 02/05/2013, एफ 5-2/2015/1/9 दिनांक 12/03/2015, ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। जिनके द्वारा शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है :-

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | सेल्फ असेसनेन्ट प्रस्तुत करने की अवधि | 30 अप्रैल, |
| 2. | प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | 15 मई |
| 3. | समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | 31 मई |
| 4. | स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा मतांकन | 15 जून |

ACR शरवा
10-16

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23 जुलाई, 2014, 28/04/2015, 10/11/2015 में शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन प्रकटन एवं श्रेणी उन्नयन के निर्देश जारी किये गये हैं। गोपनीय प्रतिवेदन में पूर्ण रूप से मतांकन होने के पश्चात् संबंधित शासकीय सेवक को प्रकटन किये जाने के उपरांत संबंधित कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

निर्देश

3/ विभाग द्वारा बार-बार निर्देश जारी किये जाने के बाद भी कतिपय विभागों में शासकीय सेवाओं के गोपनीय प्रतिवेदन उक्त निर्धारित समय-सीमा में नहीं लिखे गये हैं। विभागों द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना की गई है। इस स्थिति को कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है।

4/ अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदक अधिकारी व प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मतांकनकर्ता अधिकारी यह टीप अंकित करते हुये कि स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, संबंधित अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में अपना मतांकन करके साथ ही संबंधित अधिकारी से स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।

5/ अतः कृपया आपके विभाग के अंतर्गत समस्त शासकीय सेवाओं की वर्ष 31.3.2016 के समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली निर्धारित समय-सारणी अनुसार अनिवार्य रूप से लिखी जाना सुनिश्चित किया जाये साथ ही इस बात ध्यान रखी जाये कि गोपनीय प्रतिवेदन में स्वमूल्यांकन या मतांकन के समय तिथि का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाए।

6/ समयावधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारक अधिकारियों से विलंब के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में उसका उल्लेख किया जाये।

7/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।



(एम.के. वाष्ण्य)

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/दो-4/1445 /पी.ए.टूआई.जी./ए.सी.आर./16, जबलपुर, दिनांक 12/02/2016
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं कन्ट्रोलर नागरिक सुरक्षा, जबलपुर/कटनी/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर,
2. कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड मंगेली, जबलपुर,
3. आपदा प्रबंधन कार्यालय होमगार्ड कैम्प भोपाल,
4. समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड मध्यप्रदेश,
5. समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड मध्यप्रदेश,
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, होमगार्ड मुख्यालय,
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(विशद तिवारी)

एडीशनल कमाण्डेंट जनरल,
होमगार्ड मध्यप्रदेश।
12/2

आंतरिक प्रति :-

पीएसटूडीजी/पीएटूएडीजी

पीएटूआईजी/पीएटूएसीजी

एसएसओ (वित्त/प्रशि0),

जेएसओ (स्था./प्रशि0),

रिकार्ड शाखा मुख्यालय।